



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 317 राँची, मंगलवार,

8 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-5/2024-30957 (HRMS)--श्री सोमनाथ बनर्जी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-500/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-710, दिनांक 03.12.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री बनर्जी के विरुद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(क) श्री सोमनाथ बनर्जी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट के प्रभार में थे।

(ख) तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यकाल में महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती मुनु पांडा, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बरहेट के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2023 में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों की सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजा गया, जिसका भुगतान PFMS के माध्यम से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा किया गया। उक्त लाभुक सूची में श्रीमती पण्डा स्वयं एवं अपने रिश्तेदारों के खाता संख्या को अंकित कर उक्त योजना की राशि अपने स्वयं के खाता एवं रिश्तेदारों के खाता में लिया गया ।

(ग) तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट द्वारा क्रमांक-(ख) के वर्णित बिन्दुओं के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रखण्ड अन्तर्गत तैयार की गयी सूची का अनुशंसा किया गया एवं अनुशंसा के आधार पर कल्याणकारी योजना का भुगतान लाभुकों को न होकर महिला पर्यवेक्षिका तथा उनके रिश्तेदारों को हुआ। ऐसे में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट द्वारा सही तरीके से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करने के कारण योजना की राशि का गलत भुगतान हुआ। उनका यह कृत्य बिहार/झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 झारखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 31.07.2001 को अंगीकृत नियमावली के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-638, दिनांक 04.01.2025 द्वारा श्री बनर्जी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री बनर्जी के पत्रांक-416, दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। श्री बनर्जी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप कहा गया कि ये अपने मूल पद के साथ-साथ अन्य तीन पदों के प्रभार में थे। भेजे गये आवेदनों का भौतिक सत्यापन महिला पर्यवेक्षिका मुनु पण्डा द्वारा किया गया था। कार्य अधिकता एवं कमी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इनके द्वारा सभी आवेदन का जाँच करना संभव नहीं था।

यह भी अंकित किया गया कि प्रश्नगत मामले में महिला पर्यवेक्षिका मुनु पण्डा द्वारा खाता संख्या बदल कर अपने हस्ताक्षर से उसे सत्यापित कर दिया गया, जिससे इनको शक नहीं हुआ। आरोपी मुनु पण्डा को अपने तथा अपने पति, सास के खाता में राशि भेजने में सफलता मिली। लेकिन मामले संज्ञान में आने पर श्री बनर्जी द्वारा श्रीमती मुनु पण्डा के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा गबन की राशि वसूली की गई।

श्री बनर्जी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पया गया कि-

(क) लगभग 3500 आवेदन का भौतिक सत्यापन एवं हस्ताक्षर बाल विकास कार्यालय की पर्यवेक्षिका श्रीमती मुनु पण्डा द्वारा किया गया है, जिस पर श्री बनर्जी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में अपनी अनुशंसा के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था।

(ख) मूल पदस्थापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट के अलावा श्री बनर्जी को अंचल अधिकारी, बरहेट, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहेट तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

(ग) बरहेट प्रखण्ड माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित होने के कारण श्री बनर्जी की व्यस्तता बनी रहती थी।

(घ) महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सत्यापित आवेदनों को श्री बनर्जी द्वारा बिना जाँच किये पर्यवेक्षिका पर विश्वास कर जिला समाज कल्याण कार्यालय को अग्रसारित किया गया।

(ड) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा PFMS द्वारा भुगतान कर दिया गया, जबकि उन्हें ABPS के माध्यम से भुगतान करना था। ABPS के माध्यम से भुगतान करने पर गड़बड़ी उसी समय पकड़ में आ जाती।

(च) मामला संज्ञान में आने पर महिला पर्यवेक्षिका श्री मुनु पण्डा के विरुद्ध श्री बनर्जी द्वारा बरहेट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। साथ ही गबनित राशि की वसूली कर ली गई।

समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री बनर्जी से प्रशासनिक चूक हुई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सोमनाथ बनर्जी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-500/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सोमनाथ बनर्जी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SOMNATH BANERJEE JHK/JAS/268	श्री सोमनाथ बनर्जी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-500/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
